फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

संख्या : 149/26 राज2125/59 बनाम [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
10/4/2026	पत्रावली आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष की बहस, दस्तावेजात एवं तर्कों पर मनन किया। प्रार्थीगण का तर्क है कि खसरा नम्बर 59 उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे उस पर काबिज काश्त है, उनके अनुसार, पडोसी ख.नम्बर 56 के स्वामी (अप्रार्थीगण) बिना किसी विधिक पैमाइश के, मौके की 'सींव डोल' हटाकर अतिक्रमण करना चाहते है, और वहाँ पुख्ता निर्माण/तारबंदी करने की धमकी दे रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के दावे को मिथ्या बताते हुए कहा है कि वे अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि (ख.न. 56) पर ही काबिज है, और अपनी फसल की सुरक्षा हेतु केवल अपनी सीमा के भीतर तारबंदी कर रहे है। उन्होंने यह भी तर्क दिया हैं कि प्रार्थीगण ने स्वयं कोई सरकारी पैमाइश नहीं करवाई है और केवल परेशान करने हेतु यह वाद, प्रा.पत्र पेश किया है। हमने सभी तर्कों पर मनन किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के सिद्धान्त [illegible] (प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा [illegible] संतुलन और अपूरणीय क्षति) [illegible] इस प्रकार किया जाता है कि :- (1) प्रथम दृष्टया मामला:- यद्यपि खसरा नम्बर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

१५१/२५ न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

केस संख्या : TA राजेश मादव बनाम आनन्दकारी

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
		59 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है, किन्तु अप्रार्थीगण ने स्पष्ट किया है वे प्रार्थी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे है, बल्कि अपनी भूमि ख.न. 56 की सुरक्षा हेतु तारबंदी कर रहे है। इसके संबंध में अप्रार्थीगण ने फोटो प्रतियां भी पेश की। प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में विफल रहे कि अप्रार्थीगण ने किसी निश्चित सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि मौके पर कोई अधिकारिक पैमाइश सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई। (2) सुविधा का संतुलन :- रिकार्ड के अनुसार दोनों पक्ष अपनी-अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। यदि अप्रार्थीगण को अपनी फसल की सुरक्षा हेतु रोका जाता है तो उन्हे अपनी आराजी के उपयोग-उपभोग में निश्चित रूप से क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक प्रतीत होता है। (3) अपूर्णीय क्षति :- अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति साक्ष्य मौके की यथास्थिति को स्पष्ट करते है, ऐसी किसी भी प्रकार के [illegible] की पुख्ता प्रमाण नहीं दिखता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर [signature]

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

9|21

राजस्व वाद [illegible] बनाम [illegible]

क आज्ञा कार्यवाही		विशेष विवरण
	प्रार्थीगण पट्टा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि अप्रार्थीगण उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे है तथा तीनों किन्तु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है बिना विधिक प्रमाण के मात्र आशंका के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested